बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

आदेश संख्या – वि॰प्रा॰(IV)योजना–9/2019 – /पटना, दिनांक–

राज्य के 19 जिलों यथा नवादा/औरंगाबाद/जहानाबाद/अरवल/कैमुर/भोजपुर/ बक्सर/मुंगेर/लखीसराय/खगड़िया/शेखपुरा/समस्तीपुर/मधुबनी/गोपालगंज/सीवान/अररिया/किशनगंज/शिवहर/पश्चिम चम्पारण में नवस्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के सम्पोषण/वित्तीय संचालन हेतु विभागीय आदेश संख्या–665, दिनांक 20.02.2019 के द्वारा पूर्व से संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों को प्रतिपालक संस्थान (Mentor Institute) के रूप में नामित है।

2. विभागीय आदेश संख्या–3236, दिनांक 19.09.2019 के आलोक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, लखीसराय के सम्पोषण/वित्तीय संचालन हेतु राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई को प्रतिपालक संस्थान (Mentor Institute) के रूप में नामित किया जाता है।

3. नवस्थापित उक्त 19 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं का वर्गकार्य, प्रयोगशाला एवं कर्मशाला कार्यों का सुचारू संचालन, प्रतिपालक संस्थानों द्वारा, अपने ही संस्थान में तत्कालिक व्यवस्था के तहत सुनिश्चित की जायेगी।

4. विभागीय आदेश संख्या–665, दिनांक 20.02.2019 को यथा संशोधित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह॰/ –

(गजेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(IV)योजना–9/2019 – /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/ प्राचार्य, संबंधित अभियंत्रण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(IV)योजना–9/2019 – 3456 /पटना, दिनांक– 10/10/019

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.10.19

संयुक्त सचिव